प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 1593/1999</u>

अपीलार्थी : गज्जू पिता सोनाउ ,आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम पचोरी, थाना सारागांव
<u>जेल में</u> जिला जांजगीर, मध्य प्रदेश

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : मध्य प्रदेश राज्य

<u>दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन प्रस्तुत</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1593/1999

युगलपीठ

माननीय श्री एल.सी. भादू, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

12–1–2007

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती उषा चन्द्राकर, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक श्री आशीष शुक्ला

मौखिक निर्णय बोर्ड पर निदेशित

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एल.सी. भादू,

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 201/98 में दिनांक 4 मई 1999 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने हेतु का दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास एवं 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।

अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि 22–1–98 को दोपहर 3–4 बजे के मध्य जब बुधवारा बाई अपनी पुत्री राम कली के साथ श्यामलाल (अ.सा.–1) की टेलरिंग की दुकान पर खड़ी थी, उस समय अचानक अभियुक्त गज्जू सारथी मौके पर आया, उसने बुधवारा बाई के बालों को पकड़ा, उसे घसीटा और उसके पेट पर चाकू से हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई, इसी मध्य बुधवारा बाई की पुत्री राम कली ने अभियुक्त के हाथ से चाकू छीन लिया। अभियुक्त भाग गया। देवनारायण (अ.सा.–4) भी मौके पर आया, उसने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयत्न किया किंतु अभियुक्त भाग गया। चाकू लगने के चोट से रक्त बहने लगा और बुधवारा बाई की तत्काल मृत्यु हो गई। प्रकरण की रिपोर्ट श्यामलाल (अ.सा.–1) ने थाना सारागांव में मर्ग सूचना प्र.–पी/4 के रुप में दर्ज कराया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र–पी/1) दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए, उन्होंने नजरी नक्शा प्र–पी/2 तैयार किया, उन्होंने प्र–पी/3 द्वारा 4 ब्लाउज जब्त किए, पंचों को प्र–पी/5 की सूचना देने के बाद बुधवारा बाई की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्र–पी/6 तैयार किया गया। रक्त रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी प्र–पी/7 द्वारा जब्त की गई। चाकू, अपराध में प्रयुक्त हथियार, और लुंगी को प्र–पी/8 के तहत घटनास्थल से जब्त किया गया। अभियुक्त के कपड़े को प्र–पी/10 द्वारा जब्त किया गया।

बुधवारा बाई के शव को प्र–पी/13 द्वारा शवपरीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चांपा भेजा गया, जहां डॉ. वी.के. अग्रवाल (अ.सा.–10) ने मृतिका का शवपरीक्षण किया और अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण मार्मिक अंग (बायां फेफड़ा) में चोट के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव के उत्पन्न सदमा था। रामकली (अ.सा.–2) की भी चिकित्सक ने परीक्षण किया और उसके शरीर पर दो खरोंच के निशान पाए गए। डॉ. वी.के. अग्रवाल ने चोट रिपोर्ट प्र.–पी/15 तैयार किया। गज्जू के शरीर पर लगी चोटों का भी दिनांक 23–1–98 को परीक्षण किया गया और उसके शरीर पर दो कटे हुए घाव और तीन खरोंच के निशान पाए गए।

सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया ,जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, जांजगीर, बिलासपुर को उपार्पित किया, जहाँ से प्रकरण को विचारण हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जांजगीर को अन्तरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थापित करने हेतु 11 साक्षियों का परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य से इनकार किया और कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुनने तथा अभिलेखों के परिशीलन के उपरांत, अभियुक्त को उपरोक्तानुसार सिद्धदोष व दण्डित किया।

हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है।

आरम्भ में, अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बुधवारा बाई की हत्यात्मक मृत्यु पर कोई विवाद नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अ.सा.–1 श्यामलाल, जिसकी दुकान पर अभियुक्त ने मृतिका पर चाकू से हमला किया, अ.सा.–2 रामकली, मृतिका की पुत्री, जो घटनास्थल पर उपस्थित थी, अ.सा.–3 समारिन बाई, जो भी घटनास्थल पर उपस्थित थी और अ.सा.–4 देवनारायण, जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, के प्रत्यक्ष साक्ष्यों से, साथ ही डॉ. वी.के. अग्रवाल (अ.सा.–10) के चिकित्सीय साक्ष्य से, जिन्होंने कथन किया है कि उन्होंने बुधवारा बाई का शवपरीक्षण किया था, चाकू लगने के कारण बुधवारा बाई की मृत्यु हुई थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी, चोट की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी, उनकी रिपोर्ट प्र.–पी/17 है, उपरोक्त प्रत्यक्ष और चिकित्सीय साक्ष्यों से, यह स्थापित होता है कि मृतिका की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।

जहां तक संबंधित अपराध में अभियुक्त/अपीलार्थी की संलिप्तता का संबंध है, अ.सा.–1 श्यामलाल, जिसकी दुकान पर बुधवारा बाई और उसकी पुत्री राम कली खड़ी थीं, ने कहा है कि अभियुक्त आयाऔर मृतिका के पेट पर चाकू से हमला किया, जिससे चोट से खून बहने लगा और मृतिका गिर पड़ा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। श्याम लाल के उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि मृतिका की पुत्री अ.सा.–2 राम कली, जो घटनास्थल पर मौजूद थी, और साथ ही अ.सा.–3 समारिन बाई और अ.सा.–4 देवनारायण के साक्ष्य द्वारा तात्विक विवरणों में की गई है। इन चार साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष ऐसा कोई परिस्थिति उजागर नहीं कर पाया है जिससे इन साक्षियों के साक्ष्य अविश्वसनीय हों। श्यामलाल, समारिन बाई और देवनारायण स्वतंत्र साक्षी हैं, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष इन साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस सीमा तक, हमारा यह मानना है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधिक साक्ष्य पर आधारित है और विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय पर पहुँचने कि अभियुक्त ही प्रश्नगत अपराध का सूत्रधार था कोई अवैधता या दोष कारित नहीं किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **बगदी राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य** 2003 **एआईआर एससीडब्ल्यू** 6692 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्तम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए,तर्क किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त ने मृतिका पर केवल एक बार हमला किया था, वह भी पीछे से। अभियुक्त का मृतिका का हत्या कारित करने का कोई आशय नहीं था, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304, भाग–II, से आगे नहीं जाता।

दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि केवल एक चोट को इस आधार पर नहीं लिया जा सकता कि अभियुक्त का हत्या कारित करने का कोई आशय नहीं था। अभियुक्त के आशय को ज्ञात करने हेतु अन्य परिस्थितियों, जैसे अपराध में प्रयुक्त हथियार, शरीर का वह भाग जहाँ चोट कारित किया गया, प्रयुक्त बल और अपराध करने का ढ़ंग, पर भी विचार किया जाना चाहिए।

संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया है। अ.सा.1 श्यामलाल ने अपने साक्ष्य में कहा है कि बुधवारा बाई और उनकी बेटी उसकी दुकान पर खड़ी थीं। वह बुधवारा बाई के ब्लाउज की सिलाई के लिए नाप ले रहा था। उसी समय, अचानक, अभियुक्त घटनास्थल पर आ धमका। उसने सबसे पहले बुधवारा बाई के बाल पकड़े, उन्हें घसीटा और चाकू से हमला किया, जिससे बहुत खून निकला और बुधवारा बाई गिर पड़ीं। अ.सा.2 रामकली और अ.सा.3 समारिन बाई के साक्ष्य भी इसी प्रकार के हैं।

इस संबंध में, शवपरीक्षण करने वाले डॉ. वी.के. अग्रवाल (अ.सा.–10) का साक्ष्य भी सुसंगत है, जिन्होंने कथन किया है कि 4.5 सेमी लंबाई और 0.1 सेमी चौड़ाई का क्षैतिज घाव था, चोट स्कैपुला से 15 सेमी नीचे और पृष्ठीय रीढ़ से 5 सेमी बाईं ओर थी, चोट से रक्तस्त्राव हो रहा था, छाती में 9 सेमी गहरी चोट थी, आंतरिक मांसपेशियां कटी हुई थीं और बायां फेफड़ा क्षतिग्रस्त था। उन्होंने आगे कथन किया है कि मृत्यु का कारण मार्मिक अंग पर चोट, अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा था। चोट प्रकृति के अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त था।

एकल चोट हमेशा इस निष्कर्ष पर पहुंचने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती कि अभियुक्त ने पीड़ित पर उसकी मृत्यु के आशय से हमला किया था या नहीं। अभियुक्त के आशय को ज्ञात करने हेतु, न्यायालय को निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है, अपराध किस तरह से किया गया था, इस पर विचार करना अर्थात हथियार की प्रकृति के साथ–साथ आसपास की परिस्थितियां, शरीर का वह भाग जहां चोट पहुंचाई गई थी, जिस बल से चोट पहुंचाई गई थी और हमले की पृष्ठभूमि के तथ्य कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **थंगैया बनाम तमिलनाडु राज्य 2005 क्रि. एल.जे. 684** में प्रकाशित प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दर्शन यादव व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में (2005) 10 सुप्रीम कोर्ट केसेस 592 में प्रकाशित निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकल चोट– अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न– यह दलील कि केवल एक ही चोट पहुँचाई गई थी और वह धारा 302 के अधीन अपराध को जन्म नहीं दे सकती– अभियुक्त ने बल्लम, एक तेज काटने वाले हथियार से चोट पहुंचाई– चिकित्सक ने मृतिकाके पेट में गंभीर चोटें पाईं– उन्होंने अभिमत दिया कि पीड़ित को लगी चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी– ऐसे तथ्यों के आधार पर, अभिनिर्धारित धारा 302 के अधीन स्पष्ट रूप से प्रकरण बनता है।"

जयप्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)(1991) **2 एससीसी 32** में प्रकाशित प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा एकल चोट पहुँचाई गई है। कण्डिका–19 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकरण में अभियुक्त ने साशय चोट पहुँचाया, यद्यपि यह पूर्वनियोजित नहीं हो सकता है। सभी परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से ऐसी मानसिक स्थिति का संकेत देती हैं कि उसने एक घातक हथियार से निशाना साधा और चोट पहुँचाई। यह दिखाने के लिए सबूत या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में कि अपीलार्थी का सीने में चाकू से उस हद तक हमला करने का आशय नहीं था, जो हृदय को भेदने के लिए पर्याप्त हो, यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि

वह चोट जो उसने पहुँचाया उसे पहुँचाने का आशय नहीं था । जब एक बार घटक आशय स्थापित हो जाता है, तो अपराध हत्या होगा क्योंकि 'आशय' चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई जाती है। अतः हत्या के अपराध का प्रकरण बनता है।

अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय कि क्या एकल हमला मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था या यह बिना पूर्वचिंतन के, अचानक जनित झगड़े में, आवेश में और मृत्यु कारित करने के आशय के बिना किया गया था, प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सिद्धांत के आलोक में, यदि हम वर्तमान प्रकरण के साक्ष्यों पर विचार करें, जिनका उपरोक्त उल्लेख किया गया है, तो प्रकरण की पृष्ठभूमि यह है कि बुधवारा बाई की शिकायत पर अभियुक्त को एक दाण्डिक प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया, उसे कारावास भेज दिया गया था और रिहाई के उपरांत, उस घटना के दिन, वह चाकू से सज्जित होकर आया था। मृतिका और अभियुक्त के मध्य किसी भी प्रकार का झगड़ा या तकरार नहीं हुआ था। जब मृतिका श्यामलाल को अपने ब्लाउज की सिलाई के लिए नाप दे रही थी, तभी अचानक अभियुक्त ने उसके बाल पकड़ लिए, उसे घसीटा और चाकू से हमला कर दिया। यह एकल हमला इतना बलपूर्वक किया गया था कि चाकू शरीर के लगभग 9 सेमी अंदर तक घुस गया। इससे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए, रक्त वाहिकाएं भी क्षतिग्रस्त और कट गईं। अतः ये तथ्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अभियुक्त ने मृतिका की हत्या कारित करने के आशय से हमला किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बगदी राम के प्रकरण (पूर्वोक्त) में अचानक झगड़ा हुआ,उस झगड़े में, अभियुक्त ने आवेश में आकर कुल्हाड़ी उठा ली और एक बार हमला किया। अतः अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय उक्त प्रकरण के तथ्य भिन्न हैं।

फलस्वरूप, हमारा यह सुविचारित अभिमत है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन होने के कारण,यह खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/- **(कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति)**	**सही/-** **(सुनील कुमार सिन्हा)** **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur